हुचप्पा उर्फ हुचरायप्पा और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 577/2008)

1 अप्रेल, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे जे.)

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 326 के तहत दोषसिद्धि- अभियुक्त द्वारा अपील- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई- चुनौती दी गई- अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण फौरी/सरसरी था- उसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उठाये गये विभिन्न तर्कों/बिन्दुओं के सम्बन्ध में मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है- अतः, मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित किया गया- अभ्यास व प्रक्रिया- आपराधिक अपील- निपटान का तरीका।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 अभियुक्तगण व्यक्तियों ने अविधिक सभा का गठन किया और घातक हथियारों से एक व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसे गम्भीर उपहतियां कारित हुई और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय के द्वारा 11 अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया, लेकिन अन्य तीन अभियुक्तगण/अपीलार्थी को धारा 326 भा.द.स. के तहत दोषसिद्ध किया। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धी को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा। इस कारण से यह वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय द्वारा नये सिरे से निपटाने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जा रहा है।

अवधारित किया गया- उच्च न्यायालय का निर्णय उलझनों (भ्रम) का पुलिन्दा है। चूंकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से उठाई गई विभिन्न दलीलों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और सरसरी या फौरी तरीके से अपील का निपटारा किया है। प्रकरण को नए सिरे से कानून के अनुरूप निपटारे के लिए पुनः उच्च न्यायालय को भेजा जाता है (पैरा 7, 9) (990 एफ, जी, 991- बी, सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील संख्या 577/2008

कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 346/2001 (एसजे) में पारित निर्णय दिनांकित 27.07.2006 से।

एन.डी.बी. राजू, भारती राजू और एन. गणपति याचिकाकर्ता की तरफ से।

प्रत्यर्थी की ओर से अनीथा शेनॉय।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील के द्वारा उच्च न्यायालय एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें विद्वान मुख्य सेशन न्यायाधीश, शिमोगा द्वारा एस.सी. नम्बर 37/1995 में पारित आदेश को बरकरार रखा गया था।आदेश मुताबिक तीन अपीलार्थियों को अन्तर्गत धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दण्डनीय अपराध से दण्डित किया गया और प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास और चुक की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक को 2,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यहां मूलतः 14 अभियुक्तगण थे। विचारण न्यायालय के द्वारा वर्तमान अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया और अन्य को अन्तर्गत धारा 235 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1972 (संक्षिप्त में सीआरपीसी) में दोषी

नहीं माना गया। मूल रूप से सभी अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा 143, 144, 147, 148, 109, 504, 324, 323 और 506 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध कारित करने के लिए आरोप लगाया गया था। महादेवप्पा (जिसको एतस्मिन् पश्चात् ''मृतक'' के रूप में सन्दर्भित किया जायेगा) की मृत्यु को देखते हुए दिनांक 28.11.1994 को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गई।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का संस्करण इस प्रकार था, जो निम्नलिखित है -

अभियुक्तगण 1 से 14 के द्वारा अविधिक सभा का सदस्य खुद को बनाते हुए घातक हथियारों से सी.डब्ल्यू.1 पर हमला किया और जिससे उसके बाये पांव में अस्थिभंग कारित हुआ। सी.डब्ल्यू.1 की मृत्यु दौराने ईलाज चोटों के परिणामस्वरूप और सेप्टीसीमिया से पांच दिनों के बाद हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक द्वारा करवाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु में समस्त अभियुक्तगण समाहित थे। पीडब्ल्यू 2 और पीडब्ल्यू 5 घटना के चश्मदीद गवाह है। उनके द्वारा भी अभियुक्तगण ए1 से लेकर ए14 तक को हमलावर के रूप में बताया गया, जिनके द्वारा कारित गम्भीर उपहतियों से सीडब्ल्यू.1 की अन्ततः परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई।

4. उपरोक्त वर्णित अनुसार, मृतक की मृत्यु के पश्चात्, एक अन्य शिकायत दर्ज की गई और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त वर्णित अनुसार, विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण संख्या 4 से 14 को दोषी नहीं पाया गया। उपरोक्त वर्णित अनुसार, अपीलार्थियों के द्वारा अपील की गई, जो कि खारिज की गई। उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए यह मत दिया जो कि निम्नलिखित है -

''विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण 4 से अभियुक्तगण 14 तक को दोषमुक्त करते हुए गम्भीर त्रुटि की है। चूंकि धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान आकर्षित होते है और दोषमुक्त अभियुक्त समान रूप से और प्रतिनिधिक रूप से अभियुक्तगण ए1 से ए3 तक के कार्यों के लिए दायी है, जैसे कि उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य साझा किया गया और उनके द्वारा हमले में भी भाग लिया गया। सरकार के द्वारा उक्त अविधिक दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई।

विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण ए1 से ए3 को अन्तर्गत धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया। चोट शरीर के गैर-मार्मिक भाग पर कारित की गई थी, ऐसी चोट पहुंचाने का आशय नहीं था, जिससे कि यह सम्भाव्य हो कि मृत्यु कारित होगी और न ही यह ज्ञान हो कि उक्त प्रकार के कार्य से मृत्यु कारित होने का निष्कर्ष निकलता हो। इसलिए धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्धी उचित व सही है। परिणामों और कार्य की भयानकता को दृष्टिगत रखते हुए जो दण्ड अधिरोपित किया गया है, वह भी उचित

और सही है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जाती है।''

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर, अतार्किक, अविवेकीय है।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी के द्वारा निर्णय का समर्थन किया।

7. इतना तो कहना होगा कि उच्च न्यायालय का निर्णय उलझनों (भ्रम) का पुलिन्दा है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विचारण अदालत ने अभियुक्तगण ए4 से ए14 को बरी करने में गलती की है, क्योंकि धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान आकर्षित होते है और बरी किए गए अभियुक्तगण समान रूप से और प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होने चाहिए, जैसे कि उनके द्वारा अभियुक्तगण ए1 से ए3 का सामान्य उद्देश्य साझा किया गया और उनके द्वारा हमले में भी भाग लिया गया।

8. उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेखित किया है कि सरकार के द्वारा उक्त ''अविधिक दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। उच्च न्यायालय के द्वारा दोषसिद्धी को कायम रखते हुए यह धारित किया कि चोट शरीर के गैर-मार्मिक भाग पर कारित की गई थी, जो कि सम्भाव्य रूप से इस प्रकार की उपहति नहीं थी, जिससे कि सम्भाव्य रूप से मृत्यु कारित हो सकती हो और न ही यह जानकारी हो सकती हो कि उक्त चोट/कार्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि मृत्यु कारित होगी। इसलिए दोषसिद्धी को बहाल रखा गया और अपील खारिज की गई।

9. यहां तक कि उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की ओर से उठाई गई विभिन्न दलीलों/बिन्दुओं पर अपना न्यायिक मस्तिष्क नहीं लगाया है और सरसरी या फौरी तरीके से अपील का निपटारा किया है। हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने में कोई संकोच नहीं है। हम उक्त प्रकरण को उच्च न्यायालय को पुनः विधि अनुसार नवीन तरीके से निस्तारित करने के लिए प्रेषित करते है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह आपराधिक अपील 2001 की है, अतः हम उच्च न्यायालय से यह अनुरोध करते है कि इस अपील को यथाशीघ्र व्यवहारतः व अधिमानतः अक्टूबर 2008 तक निस्तारित करें।

10. यह उल्लेख किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सजा निलंबन और जमानत के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में लगाया जाये व यदि उक्त प्रार्थना पत्र लगाये जाते है तो उनका निस्तारण विधि अनुरूप किया जाये।

मामला उच्च न्यायालय में प्रेषित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुलकित शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।